राजस्थान–सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141–2704357 📠 : 0141–2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांकः–नि.सं.शि / खेल–प्रकोष्ठ / पं.40 I / 2015–16 / 20777–980 दिनांकः– 24/6/2016

आदेश

निदेशक, माध्यमिक–शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा / मा / खेलकूद–3 / 35968 / राज्यस्तरीय प्रति. / 2015–16 / 108 दिनांक 03.06.2016 के अनुसरण में विभागीय विद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009 में उल्लेखित–नियम–9 (9.1.1. से 9.1.9.) में खिलाड़ी पात्रता नियम, चैक–लिस्ट एवं पात्रता (योग्यता) प्रमाण–पत्र में सत्र 2016–17 होने वाली संभागीय / राज्यस्तरीय विद्यालयीय–खेलकूद–प्रतियोगिताओं में राजस्थान राज्य के छात्र–छात्रा खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संभागी खिलाड़ियों के पात्रता–नियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाता है:–

क्र.सं.	नियमावली नियम संख्या	नियमावली पृष्ठ संख्या	संशोधन / परिवर्द्धन
1.	9.1.10	20–22	योग्यता प्रमाण–पत्र के साथ प्रतियोगी खिलाड़ियों का राजस्थान के मूल निवास प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
2.	9.1.11	20–22	राज्य के बाहर के खिलाड़ियों के द्वारा उक्त खेलकूद–प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु दो वर्ष लगातार राजस्थान के विद्यालयों में अध्ययनरत रहने की (दोनो वर्षो की अंकतालिकाएं संलग्न करते हुए) बाध्यता आवश्यक है।
3.	9.1.12	20–22	किसी भी कक्षा में दो वर्ष से अनुत्तीर्ण / ठहराव वाले छात्र–छात्रा किसी भी विद्यालय खेलकूद–प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
4.	9.1.13	20–22	केन्द्रीय सेवाओं में कार्यरत / निजी संस्थाओं में कार्यरत एवं निजी व्यवसायी अभिभावकों के विद्यार्थियों से संबंधित विभाग / संस्था / राजपत्रित अधिकारी से राजस्थान में कार्यरत रहने का प्रमाण–पत्र एवं आवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्तानुसार समस्त संशोधन / परिवर्द्धन सत्र 2016–17 से प्रभावी होंगे। शेष नियम / निर्देश यथावत रहेंगे।

विमल

(विमल कुमार जैन)
IAS
निदेशक
संस्कृत–शिक्षा, राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक–कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संस्कृत शिक्षा राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त संस्कृत विद्यालयों में प्रसारित करावें।
2. समस्त प्राचार्य / प्रधानाध्यापक, राजकीय / अराजकीय, संस्कृत विद्यालय राजस्थान।
3. श्री शंकर सोनी, पुस्तकालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
4. संरक्षण पंजिका।

संयुक्त–निदेशक
संस्कृत–शिक्षा, राजस्थान जयपुर

D:\sanskrit shiksha\games\gemes.doc.-